

बाबरी वधिवंस मामले में संयुक्त ट्रायल

समाचारों में क्यों?

- गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद वधिवंस मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ साजिश के आरोपों पर दोबारा सुनवाई की मांग करने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
- भाजपा के इन वरिष्ठ सदस्यों में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती जैसे नाम शामिल हैं। इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट को यह भी फैसला करना था कि इन नेताओं के खिलाफ रायबरेली में चल रहे मामले को लखनऊ भेजा जाए या नहीं?
- जस्टिस पीसी घोष और जस्टिस आरएफ नारीमन की खंडपीठ ने संकेत दिया है कि शीर्ष अदालत रायबरेली में चल रहे मामले को लखनऊ भेजकर दोनों की संयुक्त सुनवाई का आदेश दे सकती है और ऐसा वह न्यायपालिका की वधायी शक्तियों के तहत करेगी।
- शीर्ष न्यायालय ने यह भी कहा है कि इस घटना को 25 साल बीत चुके हैं, इसलिये त्वरित न्याय सुनिश्चित करने हेतु इस मामले की रोजाना सुनवाई के साथ मामले को दो साल में नपिटाने का आदेश दिया जा सकता है।
- वदिति हो कि सीबीआई ने याचिका दाखल कर इन नेताओं सहित 11 लोगों को आरोपमुक्त करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के 20 मई 2010 के आदेश को चुनौती दी है। सीबीआई ने सभी आरोपी नेताओं (जनिके खिलाफ रायबरेली की अदालत में मुकदमा चल रहा है) पर लखनऊ की वशिष अदालत में संयुक्त ट्रायल चलाने की मांग की है।

क्या है न्यायपालिका की वधायी शक्तियाँ?

- न्यायपालिका की वधायी शक्तियों का जिकिर संविधान के अनुच्छेद 142 में किया गया है। न्यायपालिका की वधायी शक्तियों से तात्पर्य यह है कि ऐसे क्षेत्र हैं, जहाँ कोई टोस कानून नहीं है, न्यायालय अपने नरिदेशों के जरिये इन क्षेत्रों में कानूनी प्रावधानों की कमी को पूरी कर सकती है।
- जाहरि है जब वधायिका के कार्यकलापों में कुछ खामियाँ नज़र आएँ तो न्यायिक हस्तक्षेप के जरिये न्याय के उद्देश्य को पूरा करना ज़रूरी हो जाता है। गौरतलब है कि अनुच्छेद 142 में जिकिर किया गया है कि-

1. उच्चतम न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल लंबित पड़े मामले में त्वरित न्याय के लिये नरिणय देने में कर सकता है। उसके द्वारा कोई भी पारति नरिणय या दिया गया आदेश पूरे भारतीय क्षेत्र में लागू किया जा सकेगा। न्यायपालिका द्वारा लिये गए नरिणय इस आधार पर लागू होंगे कि वे संसद द्वारा लिये गए अथवा नरिधारति हैं।

2. साथ ही इस संदर्भ में जब तक कोई कानूनी प्रावधान नहीं किया जाता तब तक न्यायपालिका के आदेश से नकिला कानून भारत के सभी क्षेत्रों में लागू होगा और उच्चतम न्यायालय के पास वे सारे अधिकार होंगे, जनिके आधार पर वह किसी व्यक्ति, किसी दस्तावेज़, जाँच या कोर्ट की अवमानना के मामले में फैसला देगा।

नरिर्क्ष

- उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 142, हमेशा से कानूनवर्दों का ध्यान आकर्षति करता रहा है जिसके प्रावधान का उपयोग उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जा रहा है। उच्चतम न्यायालय ने कई मामलों में यह पाया कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत उसे व्यापक और पूर्ण अधिकार दिये गए हैं और इन सांविधिक प्रावधानों को सीमति करने की ज़रूरत नहीं है। जज़ात हो कि अनुच्छेद 142 के परपिक्ष्य में ही सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्गों के कनारिे शराब बेचने को परतर्बिधति करने का आदेश दिया है।